# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 38 / 2025 राजस्व अपील

1. मोती पुत्र पूनीराम
2. मोहन पुत्र पूनीराम

समस्त जाति नाई निवासी ग्राम दवांकर तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

( अपील विरूद्व तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 06.11.2020 उनवानी सरकार बनाम मोती, मोहन आदि मु.नं. 09 / 2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम )

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांकः 23.03.2026

:– निर्णय :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम दवांकर के आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2077 में अपीलांट्स ने अतिक्रमण कर लिया। जिस पर अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट्स को उक्त नोटिस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई न ही तामील हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट्स को सिविल कारावास की सजा व विवादित भूमि से बेदखल कर लगान दगान दर्ज कर 50 गुणा शास्ति आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.11.2020 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश कानून नियम, उप नियम के खिलाफ है इसलिये निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर नहीं देकर कानून के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स ने किसी भी गै0मु0रास्ता की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलांट ने कौनसी भूमि पर किस प्रकार से अतिक्रमण किया है। अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया है और ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक्जिबिट ही हुई है। अपीलांट्स द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण ही साबित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख नहीं है जिससे अपीलांट्स को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जावे। निर्णय जैर अपील अपीलांट्स की अनुपस्थिति में दिया गया है इसलिये अपीलांट्स को निर्णय की कोई जानकारी नहीं हुई। निर्णय की जानकारी दिनांक 10.11.2025 को पुलिस थाना सिकन्दरा द्वारा अपीलांट्स को नोटिस देने पर हुई। जिस पर दिनांक 11.11.2025 को निर्णय की नकल प्राप्त कर

अति. जिला कलक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद के साथ अपील पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2020 निरस्त फरमावें। अपीलांट्स की ओर से प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश किये गये।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स ने संवत् 2077 में प्रश्नगत भूमि खसरा 214 रकबा 0.02 है0 में से 0.01 है0 पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बहरावण्डा द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत नोटिस जारी किये गये है। नोटिस तामील प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स अतिकमी द्वारा संवत 2076 में अतिक्रमण किया गया था। अपीलांट्स द्वारा संवत 2077 में भी अतिक्रमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलांट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा व लगान का 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 06.11.2020 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया तथा पटवारी हल्का से जिरह का भी अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स की ओर से प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने बाबत शपथ पत्र पेश किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.11.2020 में से अपीलांट मोती, मोहन के सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा